न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी– सुरेश राव (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः–01/2026
जीसीएमएस नं.–2026/12

1. देवेन्द्रसिंह पुत्र हरबंससिंह जाति तरखान निवासी 17 ए पी डी हाल चक 1 यू डी एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. बलदेवसिंह पुत्र हरबंससिंह जाति तरखान निवासी 17 ए पी डी हाल चक 1 यू डी एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. सुखवीरसिंह पुत्र हरबंससिंह जाति तरखान निवासी 17 ए पी डी हाल चक 1 यू डी एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)
4. सुरेन्द्रकौर पुत्री हरबंससिंह जाति तरखान निवासी 17 ए पी डी हाल चक 1 यू डी एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

–प्रार्थी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ जिला श्री गंगानगर (राज.)

–अप्रार्थी

उपस्थित–

1. बलदेवसिंह भगू अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. राज पैरोकार अप्रार्थी की ओर से

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

–:: निर्णय ::– दिनांकः–27/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि संयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक 17 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ का पं.सं.–268/403 के कि.नं.–1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि संयुक्त रूप से प्रार्थीगण के नाम से दर्ज है। संयुक्त खाता की कृषि भूमि में प्रार्थीगण देवेन्द्रसिंह, बलदेवसिंह, सुखवीरसिंह व सुरेन्द्र कौर के पिता का नाम सहबन से हरबंससिंह के बजाय निहालकौर दर्ज है। जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही व वास्तविक नाम हरबंशसिंह है। प्रार्थीगण यहां यह स्पष्ट करते हैं कि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम हरबंशसिंह है, लेकिन उक्त कृषि भूमि का विरास्तन इन्तकाल होने के पश्चात राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहबन से प्रार्थीगण के पिता का नाम हरबंशसिंह के स्थान पर निकाल कौर दर्ज कर दिया गया जो कि एक सदभाविक त्रुटि है। प्रार्थीगण के पिता हरबंससिंह के फौत होने के बाद विरास्तन इन्तकाल में प्रार्थीगण के पिता का सही नाम हरबंससिंह दर्ज है। परन्तु बाद में जो राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय राजस्व कर्मचारियों की भूल के कारण सहबन से हरबंश सिंह के स्थान निहाल कौर दर्ज कर दिया तत्पश्चात तमाम जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता नाम गलत रूप से निहालकौर दर्ज हो गया कि दुरस्त किए जाने योग्य है।

अतः राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्त किया जाकर संयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक 17 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नं.–268/403 का किला नं.–1 ता 25 कुल 6.325 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता का नाम हरबंससिंह राजस्व रिकार्ड में अंकित

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

किया जाकर प्रार्थीगण का नाम क्रमशः देवेन्द्रसिंह पुत्र हरबंससिंह, बलदेवसिह पुत्र हरबंससिंह, सुखवीरसिह पुत्र हरबंससिंह, व सुरेन्द्रकौर पुत्री हरबंससिंह अंकित किए जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार अनूपगढ़ को जवाब स्टेट हेतु पत्र लिखा जाकर रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु होने के पर दर्ज विरास्तन इन्तकाल सं.–69 दिनांक 05.01.2007 में प्रार्थीगण के नाम के साथ प्रार्थीगण के पिता का नाम हरबन्ससिंह दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पिता का नाम जमाबन्दी में सहवन से दर्ज होना प्रतीत होता है।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली में दर्ज तथ्यो एवं संलग्न दस्तावेजात का गहनता से मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात से यह स्पष्ट हैं कि प्रार्थीगण देवेन्द्रसिंह, बलदेवसिंह, सुखवीरसिंह व सुरेन्द्र कौर के पिता का नाम सहबन से हरबंससिंह के बजाय निहालकौर दर्ज है। जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही व वास्तविक नाम हरबंससिंह है। अतः मुताबिक तहसीलदार अनूपगढ रिपोर्ट, कार्यालय ग्राम पंचायत कमरानियां (14 एपीडी) जारी प्रमाण पत्र क्रमांक SP01 दिनांक 17.03.2026 के अनुसार एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात मूल निवास, आधार कार्ड, नामान्तरण रजिस्टर ग्राम पंचायत 17 एपीडी, प्रार्थीगण सं.–2 व 3 का शपथ पत्र दिनांक 14.05.2026 आदि के आधार पर प्रार्थीगण का नाम देवेन्द्रसिंह पुत्र निहालकौर, बलदेवसिह पुत्र निहालकौर, सुखवीरसिंह पुत्र निहालकौर, व सुरेन्द्रकौर पुत्री निहालकौर के स्थान पर देवेन्द्रसिंह पुत्र हरबंससिंह, बलदेवसिह पुत्र हरबंससिंह, सुखवीरसिंह पुत्र हरबंससिंह, व सुरेन्द्रकौर पुत्री हरबंससिंह को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 17 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नं.–268/403 का किला नं.–1 ता 25 कुल 6.325 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीगण का नाम देवेन्द्रसिंह पुत्र निहालकौर, बलदेवसिंह पुत्र निहालकौर, सुखवीरसिंह पुत्र निहालकौर, व सुरेन्द्रकौर पुत्री निहालकौर के स्थान पर **क्रमशः देवेन्द्रसिंह पुत्र हरबंससिंह, बलदेवसिंह पुत्र हरबंससिंह, सुखवीरसिंह पुत्र हरबंससिंह, व सुरेन्द्रकौर पुत्री हरबंससिंह** दुरूस्त किया जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ को उक्त आदेश को राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27/05/26 को सरे ईजलास सुनाया गया।

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः—रीडर / 2026 / 180 दिनांक :- 27/5/26

तहसीलदार (राजस्व)
अनूपगढ़

विषय :—प्रकरण संख्या 01 / 2026 अनवान देवेन्द्रसिंह बनाम् सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 27/05/26 की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 01 / 2026 अनवान देवेन्द्रसिंह बनाम् सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट इस न्यायालय में विचाराधीन जैरकार था। जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27/05/26 को निर्णय पारित किया गया है। निर्णय की प्रति वास्ते राजस्व रिकार्ड मे नियमानुसार अमलदरामद करने हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर पालनार्थ प्रेषित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़